रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एम.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 317] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1982/श्रावण 9, 1904
No. 317] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1982/SRAVANA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

का० आ० 533 (अ)—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल गुजरात काटन डिलर्स एसोसिएशन, भड़ौच द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसियेशन को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त करती है।

2 इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सिमिल सं० 12(2)-आई० टी०/82(I)]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st July, 1982

S.O. 533(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by Central Gujarat Cotton Dealers' Association, Broach, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT[82(I)]

का० आ० 534 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन सदर्न गुजरात काटन डीलर्स एसोसिएशन, सूरत द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसियेशन को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2 इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सिमिल सं० 12(2) आई० टी०/82 (II)]

S.O. 534(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by Southern Gujarat Cotton Dealers' Association, Surat and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification

in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT|82(II)]

का० आ० 535(अ)—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन नार्दर्न इंडिया काटन एसोसिएशन लि०, भटिंडा द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुये है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[सिसिल संख्या 12(2)-आई० टी०/82 (III)]

S.O. 535(E).—The Central Government, having considered in the consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Northern India Cotton Association Ltd., Bhatinda and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT|82(III)]

का० आ० 536 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन अहमदाबाद काटन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, अहमदाबाद द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त एसोसिएशन का कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें।

[सिसिल संख्या 12(2)-आई० टी०/82 (IV)]

S.O. 536(E).—The Central Government, having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Ahmedabad Cotton Merchants' Association, Ahmedabad, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT/82(IV)]

का० आ० 537 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इण्डिया काटन एसोसिएशन लि०, उज्जैन द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसिएशन को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सिसिल स० 12(2)आई० टी०/82(V)]

S.O. 537(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Cotton Association Ltd., Ujjain, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by the section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT|82(V)]

का० आ० 538 (अ)—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अधीन साउथ इण्डिया काटन एसोसिएशन, कोयम्बत्तूर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एसोसियेशन को कपास में अग्रिम संविदा की बाबत इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[फा० सं० 12(2)-आई० टी 82 (VI)]

इन्द्रमोहन सहाय,
संयुक्त सचिव

S.O. 538(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the South India Cotton Association, Coimbatore, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of three years as from the date of publication of this notification in the Gazette of India in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(2)-IT|82(VI)]
I. M. SAHAI, Jt. Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1982